



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 ई0

माघ 23, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 52/XXXVI(3)/2021/06(1)/2021

देहरादून, 12 फरवरी, 2021

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) के अधीन माननीय राज्यपाल ने “उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2021” पर दिनांक 12 फरवरी, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्या: 01, वर्ष -2021 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन)  
अध्यादेश, 2021

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या- ०1 वर्ष, 2021)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूल एवं उपांतरण आदेश, 2002) में नगर निगमों के सम्पत्ति कर विषयक प्राविधानों में अग्रोत्तर संशोधन किये जाने के लिए,

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और श्री राज्यपाल को यह समाधान हो गया कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिसके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है;

अतएव अब संविधान के अनुच्छेद 213 खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

- |   |    |   |
|---|----|---|
| संक्षिप्त नाम,<br>विस्तार तथा<br>प्रारम्भ                             | 1. | (1) इस अध्यादेश का नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 है।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।   |
| उत्तर प्रदेश नगर<br>निगम अधिनियम,<br>1959 की<br>धारा-173 का<br>संशोधन | 2. | उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 जिसको मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 173 की उपधारा (2) के परन्तुक को निम्न से प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-<br><br>"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्ति कर के अन्तर्गत सामान्य कर की दर वार्षिक मूल्य के 0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के मध्य होगी तथा पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्ति कर प्रारम्भ होने के आगामी 05 वर्षों में किसी भी दशा में ठीक पूर्व के वर्ष में निर्धारित कर से कम अथवा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तत्पश्चात अनुवर्ती वर्षों में सम्पत्ति कर में प्रतिवर्ष वृद्धि की अधिकतम दर नियमावली में विहित रीति से तय की जायेगी। |

परन्तु, यह भी कि पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्ति कर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जायेगा तथा एक अप्रैल को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर ही पूर्ण वर्ष का सम्पत्ति कर निर्धारित किया जायेगा



धारा 174 (1) का प्रतिस्थापन 3. मूल अधिनियम की धारा 174 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात:-

174 वार्षिक मूल्य की परिभाषा-(1) वार्षिक मूल्य से तात्पर्य है-

" भवन या भूमि या दोनों जैसी भी स्थिति हो के पूँजीगत मूल्य जो कि भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल या दोनों जैसी भी स्थिति हो को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजार्थ कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट/निर्माण की दर जो प्रचलन में हो, से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य है"।

धारा-207 (1) का प्रतिस्थापन 4. मूल अधिनियम की धारा 207 (1) की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात:-

"नगर आयुक्त समय-समय पर नियमावली में विहित रीति के अनुसार नगर या उसके किसी भाग की निर्धारण सूची तैयार कराएगा"

धारा-207-ख (1) का प्रतिस्थापन 5. मूल अधिनियम की धारा 207 ख की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात:-

"वार्षिक मूल्य के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी ऐसे दिनांक तक जैसा विहित किया जाए एक सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करेगा"

धारा-210 (1) का प्रतिस्थापन 6. मूल अधिनियम की धारा 210 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात:-

"नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी यथास्थिति, नगर या उसके किसी भाग की निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा"

(बेबी रानी मौर्य)

राज्यपाल

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,

प्रमुख सचिव।